



१५३।

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 आशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

०१/७/१५

पत्रांक : १३८६ /०५/७६ /एक /२०१४-१५  
सेवा में,

दिनांक : चूने 2015-

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-फतेहपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उक्त योजनान्तर्गत शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्गत की गयी धनराशियों में अभिकरण पर प्रथम किश्त में प्रश्नगत निम्न परियोजनाओं में रोकी गयी 10 प्रतिशत की धनराशि को प्राप्त निर्देशानुसार जनपद पर संचालित झूडा के निम्न बचत खाते में आन्तरित करा दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आईडीबीआई बैंक	1060104000027609	IFSC Code IBKL0001060	₹ 10.385
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड/कार्य का नाम	अभिकरण पर रोकी गयी धनराशि का प्रेषण
1	फतेहपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० फतेहपुर	मलिन वस्ती अधारपुर मे इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (भाग-1)	1.617
2	फतेहपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० फतेहपुर	मलिन वस्ती अधारपुर मे इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (भाग-2)	1.523
3	फतेहपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० फतेहपुर	मलिन वस्ती अधारपुर मे इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (भाग-3)	1.656
4	फतेहपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० फतेहपुर	मलिन वस्ती अधारपुर मे इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (भाग-4)	1.451
5	फतेहपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० फतेहपुर	मलिन वस्ती अधारपुर मे इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (भाग-5)	1.358
6	फतेहपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० फतेहपुर	मलिन वस्ती अधारपुर मे इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (भाग-6)	1.296
7	फतेहपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०प० फतेहपुर	मलिन वस्ती अधारपुर मे इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (भाग-7)	1.484
	योग				₹ 10.385



145/2

दूरभाष— 2286709  
2286710

गव. चेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ—228001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

1— कृपया उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करने का कष्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रेषित की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना में किया जायेगा। जिसके लिये धनराशि प्रेषित की जा रही है। प्रेषित की गयी धनराशि का व्ययवर्तन अनुमन्य नहीं है।

2— प्रेषित की जा रही धनराशि में यह सुनिश्चित कर लें कि वह परियोजनायें जो समर्पित की जानी हैं अथवा जिनके कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं धनराशि शेष बचती है, उसे अभिकरण मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें जिससे धनराशि राजकोष में जमा करायी जा सके।

भवदीय,

(लाल/प्रतीप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक(लाल/प्रतीप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : मिम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।